



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269153
CG-DL-E-07012026-269153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 76]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ.86(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए 04 ट्रांसफार्मर को ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मनोर-वाड़ा पालघर से हजीरा पोर्ट, गुजरात और मैसर्स सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ऐरोली, नवी मुंबई से खावड़ा, गुजरात तक 01 ट्रांसफार्मर, कुल पांच अति आयामी माल प्रेषण को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल वाहन भार और आकार इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

1. मैसर्स एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उपरोक्त परिवहन के लिए पांच अति आयामी माल प्रेषण के संचालन हेतु मैसर्स ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।

2. निम्नलिखित प्राइम मूवर्स का उपयोग संबंधित माल के परिवहन में किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
01.	एमएच46बीबी5843	मेन 300 एचपी
02.	एमएच46बीएफ0710	मेन 300 एचपी
03.	एमएच46एच2194	बॉल्वो 400 एचपी
04.	एमएच46बीएम3703	बॉल्वो 460 एचपी
05.	जीजे06बीटी2184	बॉल्वो 469 एचपी
06.	एमएच46बीयू0130	बॉल्वो 500 एचपी
07.	जीजे06बीबी2071	बॉल्वो 500 एचपी
08.	जीजे06बीबी0305	टाटा प्राइमा 300 एचपी
09.	जीजेओ6बीबी5703	आईचर 350 एचपी
10.	जीजेओ6बीबी9313	आईचर 350 एचपी
11.	जीजेओ6बीएक्स0086	आईचर प्रो 350 एचपी
12.	जीजेओ6बीएक्स2628	आईचर प्रो 350 एचपी
13.	जीजेओ6बीएक्स2776	बॉल्वो 500 एचपी
14.	एमएच46बीयू0170	बॉल्वो 500 एचपी

3. उपरोक्त गतिविधियों में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
01.	एमएच46एच2391	गोल्डहोफर	3	78
02.	एमएच46एच2392	गोल्डहोफर	4	104
03.	एमएच46एच2393	गोल्डहोफर	6	156
04.	एमएच46एच2394	गोल्डहोफर	7	182
05.	एमएच43यू6391	गोल्डहोफर	3	78
06.	एमएच43यू6392	गोल्डहोफर	3	78
07.	एमएच43यू6393	गोल्डहोफर	3	78
08.	एमएच43यू6394	गोल्डहोफर	4	104
09.	एमएच43यू6395	गोल्डहोफर	5	130
10.	एमएच43यू6396	गोल्डहोफर	6	156
11.	डीडी01पी9421	गोल्डहोफर	3	78
12.	डीडी01पी9752	गोल्डहोफर	3	78
13.	एमएच46बीएफ0661	बीएमटी	4	72
14.	एमएच46बीएफ0662	बीएमटी	4	72
15.	एमएच46बीएफ2184	बीएमटी	4	72
16.	एमएच46बीएफ1774	बीएमटी	4	72

17.	एमएच46बीएफ1775	बीएमटी	4	72
18.	एमएच46बीएफ1776	बीएमटी	2	36
19.	एमएच46बीएफ1751	बीएमटी	2	36
20.	जीजे06बीटी8472	टी॥	4	72
21.	जीजे06बीटी8309	टी॥	4	72
22.	जीजे06बीटी8267	टी॥	6	108
23.	जीजे06बीटी8104	टी॥	6	108
24.	जीजे06बीटी9250	टी॥	6	108
25.	जीजे06बीवी6258	टी॥	4	72
26.	जीजे06बीवी6324	टी॥	6	108
27.	जीजे06बीवी6180	टी॥	6	108
28.	जीजे06बीवी6145	टी॥	4	72
29.	जीजे06बीटी9485	टी॥	4	72
30.	जीजे12बीजेड2748	ट्रैटेक	3	54
31.	जीजे12बीजेड2978	ट्रैटेक	4	72
32.	जीजे12बीजेड2661	ट्रैटेक	3	54
33.	जीजे06बीजेड2897	ट्रैटेक	4	72
34.	जीजे12बीजेड2585	ट्रैटेक	4	72
35.	जीजे06बीजेड2559	ट्रैटेक	4	72
36.	जीजे06बीजेड2573	ट्रैटेक	4	72
37.	जीजे12बीजेड2761	ट्रैटेक	6	108
38.	जीजे12बीजेड2628	ट्रैटेक	4	72
39.	जीजे06बीजेड2772	ट्रैटेक	4	72

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	विवरण	प्रेषित माल का नाम	टन में बिना भार वाली धुरियों का भार मीट्रिक टन (एमटी) में	प्रेषित माल का भार मीट्रिक टन (एमटी)	वाहन का लदान भार (एमटी)	प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)	वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)	प्रेषित माल का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण
								ल. (मी.)	चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)	
i	1	स्टीम सुपर हीटर मॉड्यूल-1	84एमटी	186एमटी	270एमटी	11.25	9.190	10.250	6.700	7.900	12 प्रत्येक पंक्ति के साथ-साथ, 12 धुरी (16 टायर प्रति धुरी पंक्ति)
ii	1	स्टीम सुपर हीटर मॉड्यूल-2	42एमटी	144एमटी	186एमटी	15.50	9.1900	10.250	6.700	7.900	12 प्रत्येक पंक्ति में डेढ़ धुरी, 12 धुरी (12 टायर प्रति धुरी पंक्ति)

iii.	1	ट्रांसफार्मर	77एमटी	307एमटी	384एमटी	17.45	6.650	10.200	4.200	5.400	22 प्रत्येक पंक्ति में एकल पंक्ति धुरी, 22 धुरी (8 टायर प्रति धुरी पंक्ति)
iv.	2	स्टीम सुपर हीटर मॉड्यूल-2	52.5एमटी	144एमटी	196.5एमटी	13.10	9.190	10.250	6.700	7.900	10 प्रत्येक पंक्ति में डेढ़ धुरी, 10 धुरी (12 टायर प्रति धुरी पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है कि:-

इन 06 अति आयामी प्रेषित माल के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग जिसमें मैसर्स ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हजीरा पोर्ट, गुजरात तक 04 और मैसर्स सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड से खावड़ा, गुजरात तक 01 शामिल हैं, का सड़क मार्ग से इस प्रकार होगा

ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाडा-मनोर- चिल्हार-चरोटी-तलासरी-भिलाड-वापी-किल्ला पारडी-वैसद-डूंगरी-चिखली-नवसारी-पलसाना- अभवा-लिमला-हजीरा-अडानी पोर्ट, हजीरा।

सीमेंस - महापे - शिल्फाटा - पडघा - वासिंद - सहापुर - खारडी - शिरोल - कसारा - घोटी - इगतपुरी -ताकेघोटी - नासिक - ओझर - कोंकणगांव - पिंपलगांव - खडकजंब - चांदवाड - राहुड - चिंचवे - मालेगांव - धुले - कुसुम्बा - अक्कलपाडा- साकरी -विसरवाडी- नवापुर - व्यारा- पलसाना-कामरेज-पिपोदरा-किम-अंकलेश्वर- पालेज - कर्जन - पोर् - जाम्बुवा - वडोदरा बाईपास - वडोदरा - वासद - मोगर - कंजारी - नाडियाड - खेडा - बरेजा - अहमदाबाद - कलोल - छत्राल - मेहसाणा - ऊंझा - पालनपुर - डीसा - खिमाना - शिहोरी - थारा- राधनपुर - संतालपुर - अडेसर - समाखियाली - भचाऊ - गांधीधाम - प्रागपर बिडाडा - कोडय - दर्हिसारा -भुज- नखत्राणा - कोटडा जादोदर - मथल - मोरे - देशलपार - मुरु - ऐयार - लुधवे - पनेला - हाजीपीर - लुडिया - खावड़ा - दिनारा - धोबाना - बीएसएफ चेक पोस्ट - री-पार्क, खावड़ा।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही महाराष्ट्र, गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्यों में पंजीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (xvi) माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
- (xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।
- (xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ऊपर संरचना (ओवरहेड स्ट्रक्चर) आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों, ताकि वस्तु के आवागमन में लंबवत अवरोध उत्पन्न न हो।
- (xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/08/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 86(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of Five over dimensional consignment 04 Transformer from Zeeco India Pvt. Ltd. Manor-Wada Palghar to Hazira Port, Gujarat and 01 Transformer from M/s Siemens Energy India Limited, Airoli, Navi Mumbai, to Khavda, Gujrat by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Express Global Logistics Pvt. Ltd. is the transporter of M/s Zeeco India Pvt. Ltd and M/s Siemens Energy India Limited for transportation of Five over dimensional consignment for the aforesaid movements.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
01.	MH46BB5843	MAN 300HP
02.	MH46BF0710	MAN 300 HP

03.	MH46H2194	VOLVO 400 HP
04.	MH46BM3703	VOLVO 460 HP
05.	GJ06BT2184	VOLVO 469 HP
06.	MH46BU0130	VOLVO 500 HP
07.	GJ06BV2071	VOLVO 500 HP
08.	GJ06BV0305	TATA PRIMA 300HP
09.	GJO6BV5703	EICHR 350 HP
10.	GJO6BV9313	EICHR 350 HP
11.	GJO6BX0086	EICHR Pro 350 HP
12.	GJO6BX2628	EICHR Pro 350 HP
13.	GJO6BX2776	VOLVO 500 HP
14.	MH46BU0170	VOLVO 500 HP

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
01.	MH46H2391	GOLDHOFER	3	78
02.	MH46H2392	GOLDHOFER	4	104
03.	MH46H2393	GOLDHOFER	6	156
04.	MH46H2394	GOLDHOFER	7	182
05.	MH43U6391	GOLDHOFER	3	78
06.	MH43U6392	GOLDHOFER	3	78
07.	MH43U6393	GOLDHOFER	3	78
08.	MH43U6394	GOLDHOFER	4	104
09.	MH43U6395	GOLDHOFER	5	130
10.	MH43U6396	GOLDHOFER	6	156
11.	DD01P9421	GOLDHOFER	3	78
12.	DD01P9752	GOLDHOFER	3	78
13.	MH46BF0661	VMT	4	72
14.	MH46BF0662	VMT	4	72
15.	MH46BF2184	VMT	4	72
16.	MH46BF1774	VMT	4	72
17.	MH46BF1775	VMT	4	72
18.	MH46BF1776	VMT	2	36
19.	MH46BF1751	VMT	2	36
20.	GJ06BT8472	TII	4	72
21.	GJ06BT8309	TII	4	72

22.	GJ06BT8267	TII	6	108
23.	GJ06BT8104	TII	6	108
24.	GJ06BT9250	TII	6	108
25.	GJ06BV6258	TII	4	72
26.	GJ06BV6324	TII	6	108
27.	GJ06BV6180	TII	6	108
28.	GJ06BV6145	TII	4	72
29.	GJ06BT9485	TII	4	72
30.	GJ12BZ2748	TRATEC	3	54
31.	GJ12BZ2978	TRATEC	4	72
32.	GJ12BZ2661	TRATEC	3	54
33.	GJ06BZ2897	TRATEC	4	72
34.	GJ12BZ2585	TRATEC	4	72
35.	GJ06BZ2559	TRATEC	4	72
36.	GJ06BZ2573	TRATEC	4	72
37.	GJ12BZ2761	TRATEC	6	108
38.	GJ12BZ2628	TRATEC	4	72
39.	GJ06BZ2772	TRATEC	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Quantity.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i.	1	Steam super heater module-1	84MT	186MT	270MT	11.25	9.190	10.250	6.700	7.900	12 Side by Side each row, 12 axles (16 tyres per axle row)
ii	1	Steam super Heater module-2	42MT	144MT	186MT	15.50	9.1900	10.250	6.700	7.900	12 one & half Axels in each row, 12 Axles (12 tyres per axles row)
iii.	1	Transformer	77MT	307MT	384MT	17.45	6.650	10.200	4.200	5.400	22 single line Axles in each row, 22 Axles (8 tyres per axle row)
iv.	2	Steam super heater module-2	52.5MT	144MT	196.5MT	13.10	9.190	10.250	6.700	7.900	10 one & half Axels in each row, 10 Axles (12 tyres per axles row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of five over dimensional consignment 04 from M/s Zeeco India Pvt. Ltd to Hazira Port, Gujarat and 01 from M/s Siemens Energy India Limited to Khavda, Gujarat road through- Zeeco India Pvt Ltd., Wada-Manor- Chilhar-Charoti-Talasari-Bhilad-Vapi-Killa Pardi-Vaisad-Dungri-Chikhli-Navsari-Palsana- Abhva-Limla-Hazira-Adani Port, Hazira. Siemens – Mahape – Shilphata – Padgha – Vasind – Sahapur – Khardi – Shirol – Kasara – Ghoti – Igatpuri – Takeghoti - Nashik – Ojhar – Konkangaon – Pimpalgaon – Khadakjamb – Chandwad – Rahud – Chinchave –

Malegaon –Dhule –Kusumba –Akkalpada- Sakri -Visarwadi- Navapur – Vyara- Palsana-Kamrej-Pipodara-Kim-Ankaleshwar- Palej - Karjan - Por - Jambuva - Vadodara Bypass - Vadodara – Vasad – Mogar – Kanjari – Nadiad –Kheda – Bareja – Ahmedabad – Kalol – Chhatral – Mehsana – Unjha – Palanpur – Deesa – Khimana – Shihori – Thara– Radhanpur – Santalpur – Adesar – Samakhiali – Bhachau – Gandhidham – Pragpar – Bidada – Koday – Dahinsara –Bhuj- Nakhatrana – Kotada Jadodar – Matthal – Moray – Deshalpar – Muru – Aiyar – Ludhbay – Panela – Hajipir –Ludiya - Khavda – Dinara – Dhrobana - BSF Check Post – Re- Park, Khavda.

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Express Global Logistics Pvt. Ltd..

v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.

vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.

xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.

xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Maharashtra, Gujarat and union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.

xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.

xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs,RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement.

xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/08/2021-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.